समाचार.प्रकाषनार्थरू.

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण

सफाई का कार्य नियमित रूप से करवाने व भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के दिये निर्देष

सार्वनिक षौचालय व यूरिनल की दोनो समय सफाई करवाई जाये

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 17 अप्रैल । षहर के व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर व्यावसायिक क्षेत्र व मुख्य मार्गो की सफाई के साथ ही नाले नालियों की सफाई के निर्देष संबंधितों को देने के साथ ही भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के निर्देष भी दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो बत्तीए सैलाना बस स्टैण्डए गीता मंदिर रोडए भुट्टा बाजारए डालू मोदी बाजारए नाहरपुराए चांदनी चौकए नौलाईपुराए धानमण्डी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर नाले नालियों की सफाई के निर्देष संबंधित को देते हुए नौलाईपुरा क्षेत्र के नाले की सफाई का कार्य तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देष दिये।

निरीक्षण के दौरान उन्होने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देष दिये कि षहर के सभी सार्वजनिक षौचालय व यूरिनल की नियमित रूप से सफाई करवाई जाये सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी इस हेतु सभी पुरी निश्ठाए लगन एवं ईमानदारी से कार्य करे।

गंदगीए भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार अरूण अग्रवाल पर 3000ए धर्मेन्द्र सिसोदिया पर 2000ए धर्मेन्द्र टांक पर 1000ए मनोहर सिंहए सुजानमलए राम किषन पर 500.500ए हरि सिंह व नूर पर 250.250ए रमेषए निर्मल व अनिल पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईष दी।

निरीक्षण के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्राए श्री अनवर कुरेषीए राजस्व उप निरीक्षक श्री हरीष मिश्राए झोन प्रभारी श्री विनय चौहानए श्री धर्मेन्द्र दोगाया के अलावा श्री कुलदीप भट्ट आदि उपस्थित थे।

मेले में आर्केस्ट्रा के कलाकारों ने नागरिकों का खुब मनोरंजन किया

रतलाम 17 अप्रैल । नगर निगम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बरबड़ हनुमान मेले में बीती रात्री में निगम रंगमंच पर आयोजित आर्केस्ट्रा में कलाकारों ने फिल्मी गीतों व गीतों पर नृत्यों की प्रस्तुति देकर बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का देर रात तक खुब मनोरंजन किया।

आर्केस्ट्रा की षुरूआत गायक प्रदीप पवंार ने गणेष वंदना व हनुमान जी के भजन के से की इसके पष्चात् कलाकारों ने अपने सुमधुर कंठ से बड़ी दूर से आये हैं प्या का तोहफा लाये हैए सत्यम् षिवम् सुन्दरम्ए याद आ रहा है तेरा प्यारए छुप गये सारे नजारे ओय क्या बात हो गईए जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे जैसे फिल्मी गीतो की प्रस्तुति दी वहीं राजस्थानीए फिल्मी व भजनों पर मनीशा ने आर्कशक नृत्यों की प्रस्तुति देकर नागरिकों का देर रात तक भरपुर मनोरंजन किया।

प्रारंभ में पूर्व पार्शद श्री प्रहलाद पटेल ने आर्केस्ट्रा के कलाकार मोहम्मद अय्यूबए प्रदीप पवांरए माधुरीए मनीशाए जितेन्द्र चौहानए रमन हारोड़ए मनोज सहगलए राजेष बैरागीए आनन्द नागरकर आदि का स्वागत पुश्प गुच्छ व पुश्पहारों से किया।

17 अप्रैल षनिवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 255 ट्रीप

95 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 17 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले

कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 17 अप्रैल रविवार को 95 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।
17 अपै्रल रविवार को डम्पर से 11200 किलोए टेª क्टर से 8845 किलोए मैजिक सूखा कचरा 52680 किलोए मैजिक गीला कचरा 22845 किलो इस तरह कुल 95570 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

48 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा
दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन
बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त
रतलाम 17 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 17 अप्रैल को प्रातः 18 व दोपहर में 30 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।
16 अप्रैल गुरूवार को झोन क्रमांक 1 में विमलाबाई पति रघुवीरए बादल.दिलीपए राकेष.रतनलालए अजय.विनोदए अनिल.अर्जूनए विजय.फुलचन्दए झोन क्रमांक 2 में सुनील.ष्यामलालए सोमदीप.सुदेषए ष्यामाबाई.कन्हैयाए मीनाबाई.किषोरए विमलाबाई. पंकजए महेन्द्र.नेहरूए षिवकन्या.रमेषए प्रदीप.रामप्रसादए पूर्णिमाबाई.चरणए राकेष. रामप्रसादए संजय.बच्चुए मंजुबाई पति राजूए दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में विजय.षांतिलालए सतीष.गोवर्धनए झोन क्रमांक 2 में नितिन.कमलए लताबाई पति

संजयए विमलाबाई पति नारायणए बबीताबाई.ष्यामलालए सुगनाबाई पति षंकरए दयाराम.मुंषीए मनुबाई पति किषोरए मनोरमाबाई पति मदनए संगीताबाई पति रमेषए दीपक.अन्नीए रेखाबाई पति ओमप्रकाषए ष्यामाबाई पति रामलालए संध्याबाई पति सुरेषए अनिताबाई पति दीपकए आषाबाई पति मुकेषए मुन्नीबाई.मूलचन्दए षीलाबाई पति राधेष्यामए झोन क्रमांक 3 में रोहित.पवनए मनीश.विजयए सुनील. मनोहरए नजीर.कचरूए सुरेष.फतेहरामए झोन क्रमांक 4 में मुकेष.बाबुलालए रामकन्या पति सोहनए मिनाक्षी.योगेषए सुनीताबाई पति षिवलाल इस तरह 48 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 17 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक

हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 17 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2ण्0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 17 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्17ण्04ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण